प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.12.2025

स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 25 हजार पुरूस्कार घोषित व जिला बदर अपराधी पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर व लूट के 4852 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद।

पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांकः 06.12.2025 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 25 हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी किसी घटना को अंजाम देने कि फिराक में थाना क्षेत्र सिहानीगेट में घूम रहा है। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना सिहानीगेट पुलिस टीम के साथ हमदर्द चौराहा थाना क्षेत्र सिहानीगेट पर चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग एक व्यक्ति मोटर साइकिल नम्बर-DL5SCW2314 स्पलैण्डर पर 01 व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख बाईक सवार व्यक्ति हमदर्द ग्राउन्ड की तरफ भागा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा व्यक्ति बायें पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। जिसको समय लगभग 20:25 बजे तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में पूछताछ के दौरान घायल व्यक्ति ने अपना नाम अनस पुत्र नफीस निवासी राजीव कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद हाल पता न्यू जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली उम्र 27 वर्ष बताया व माह अगस्त में मेरठ तिराहे से 01 व्यक्ति से आई-फोन मोबाइल की लूट की घटना अपने साथी के साथ मिलकर घटना का इकबाल किया व अभियुक्त की तलाशी के दौरान घटना से सम्बन्धित लूट के 4850 रूपये भी बरामद किये गये।

उक्त अभियुक्त थाना सिहानीगेट के मु0अ0सं0-287/2025 धारा 304(2) बी0एन0एस0 में वांछित/25 हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी है व थाना शालीमार गार्डन से दिनांकः 13.07.2025 से जिला बदर चल रहा है। उक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो अभियुक्त के विरूद्ध लूट, चोरी, एनडीपीएस व गैंगस्टर एक्ट आदि के दिल्ली व गाजियाबाद के विभिन्न थानों लगभग 25 मुकदमें दर्ज हैं।

’ गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता’

(1). अनस पुत्र नफीस निवासी राजीव कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद हाल पता न्यू जाफराबाद थाना वेलकम दिल्ली उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण - 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर व लूट के 4852 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्पलैण्टर मोटरसाईकिल नम्बर-DL5SCW2314 बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2)-थाना सिहानीगेट पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 20,000 ₹ का इनामिया लुटेरा (अभियुक्त) गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-
थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग व मु0अ0सं0 0487/25 धारा 304(2) BNS में तलाश वांछित अभियुक्तगण अन्तर्गत थाना मुरादनगर के कन्नौजा से चित्तौड़ा जाने वाले तिराहे के पास चेकिंग कर रहे थे तभी जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए इस तरफ आ रहा है यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है, मुखबिर ने बताया कि उसके पास असलाह भी हो सकता है इस सूचना पर थाना मुरादनगर से अतिरिक्त फोर्स को कन्नौजा चित्तौड़ा तिराहे पर बुलाया गया जैसे ही हम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त मौके से बाइक मोड़कर भागने लगा तथा फिसल कर गिर गया तथा पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आदिल पुत्र मो. उमर निवासी पसोंडा थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल निवासी ईदगाह रोड हापुड़ बताया और बताया कि मैंने अपने साथी नौशाद उर्फ बादशाह उर्फ मोमीन निवासी फरुखनगर थाना टीलामोड के साथ मिलकर सितंबर माह में संजय कालोनी गेट थाना मुरादनगर से एक व्यक्ति से चेन छीनी थी जिसे मैंने नौशाद को रखने के लिए दिया था मगर कुछ दिन पहले पुलिस ने नौशाद को पकड़ लिया था और आज मैं छिप कर कही जा रहा था परंतु आपने मुझे पकड़ लिया, पकड़े गए अभियुक्त से मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।
घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
आदिल पुत्र मो. उमर निवासी पसोंडा थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल निवासी ईदगाह रोड हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
01 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास-
गिरफ्तार अभियुक्त आदिल के विरुद्ध दिल्ली NCR के विभिन्न थानों में डकैती/लूट/चोरी/गैंगस्टर आदि से संबंधित करीब 34 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 07.12.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना को आधार पर 01 जिला बदर अभियुक्त विष्णु पुत्र राजकुमार निवासी करहेडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को अम्बेडकर पार्क हर्षा कम्पाउण्ड के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु पुत्र राजकुमार उपरोक्त दिनांक 09.10.2025 से 06 माह के लिये थाना साहिबाबाद पर जिलाबदर चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु पुत्र राजकुमार उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु पुत्र राजकुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त अपने छोटे भाई का शादी समारोह जो कि दिनांक 08.12.2025 को है, जिसमें बिना किसी अनुमति के जिसमें सम्मलित होने के लिये आया था। जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विष्णु पुत्र राजकुमार निवासी करहेडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु पुत्र राजकुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी व गुण्डा एक्ट के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 07.12.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना को आधार पर गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त हैदर पुत्र फैय्याज अली निवासी कस्बा दोघट थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष को मोहननगर मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हैदर पुत्र फैय्याज अली उपरोक्त थाना साहिबाबाद पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाछिंत चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त हैदर पुत्र फैय्याज अली उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त हैदर पुत्र फैय्याज अली उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के लिए स्नैचिंग(झपटमारी) जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। इनके द्वारा साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्नैचिंग(झपटमारी) की घटनाएँ कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

हैदर पुत्र फैय्याज अली निवासी कस्बा दोघट थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त हैदर पुत्र फैय्याज अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर स्नैचिंग(झपटमारी), आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध हुक्काबार चलाने वाले 05 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 15 हुक्का, 15 हुक्का की पाईप ,15 चिलम, 13 चिमटा व दो डिब्बे तम्बाकू बरामद हुआ।

दिनांक 06.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध हुक्का बार चलाने वाले अभियुक्तगण 1.सनवर उर्फ सोनू पुत्र अनसार अली निवासी शास्त्री बुलन्द मस्जिद के पास थाना शास्त्री पार्क दिल्ली 2.राहुल पुत्र नरेन्द्र निवासी विकास कुन्ज कालोनी दुर्गा मन्दिर के पास डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3.आरीश पुत्र मो0 रहीश निवासी खुशहाल पार्क चांद मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद 4.रोहित पुत्र राजेश शर्मा निवासी शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.विशाल पुत्र विक्की शर्मा निवासी विकास कुन्ज इन्द्रापुरी डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद व अभियुक्ता 6. प्रिया पुत्री दीपक निवासी करावल नगर भगवती विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष को कंगारू कैफे दिल्ली सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 15 हुक्का, 15 हुक्का की पाईप ,15 चिलम, 13 चिमटा व दो डिब्बे तम्बाकू जिस पर अग्रेजी में AFZAL PREMIUM FRENCH TOBACO लिखा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 223/271 बीएनएस व 4/21(1) सिगरेट अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि इस हुक्का बार में हम काम करते है इस हुक्का बार के मालिक सतीश गर्ग निवासी दुर्गापुरी है हम सब तो यहाँ पर कार्य करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सनवर उर्फ सोनू पुत्र अनसार अली निवासी शास्त्री पार्क बुलन्द मस्जिद के पास थाना शास्त्री पार्क दिल्ली उम्र 27 वर्ष

2.राहुल पुत्र नरेन्द्र निवासी विकास कुन्ज कालोनी दुर्गा मन्दिर के पास डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

3.आरीश पुत्र मो0 रहीश निवासी खुशहाल पार्क चांद मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

4.रोहित पुत्र राजेश शर्मा निवासी शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

5.विशाल पुत्र विक्की शर्मा निवासी विकास कुन्ज इन्द्रापुरी डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

6. प्रिया पुत्री दीपक निवासी करावल नगर भगवती विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

15 हुक्का व 15 हुक्का की पाईप ,15 चिलम, 13 चिमटा व दो डिब्बे तम्बाकू जिस पर अग्रेजी में AFZAL PREMIUM FRENCH TOBACO लिखा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 05.12.2025 को थाना लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत सरपंच गार्डन कालोनी निठोरा रोड पर दो पक्षों ने एक दूसरे के साथ जान को जोखिम में डालकर मारपीट व हवाई फायरिंग करना जिसके सम्बन्ध में चौकी प्रभारी कस्बा द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग में दौराने विवेचना हवाई फायर करने वाले अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। जिसे आज दिनांक 07.12.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा निठोरा अण्डर पास के पास चैकिंग के दौरान अभियुक्त चाँद मौहम्मद पुत्र लोटन निवासी कबीर नगर दिल्ली हाल पता सरपंच गार्डन कालोनी निठौरा रोड लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमन्चा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई, अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक- 05.12.25 की रात को सरपंच गार्डन कालोनी निठोरा रोड पर प्लाट को लेकर मेरे दोस्त कल्लू वेग का सलाऊ उपरोक्त से झगडा हो गया था तथा मैं भी मोके पर मौजूद था, झगडे व भीड को बढते देख मैंने अपना तमन्चा निकालकर हवाई फायर कर दिया और वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

चाँद मौहम्मद पुत्र लोटन निवासी कबीर नगर दिल्ली हाल पता सरपंच गार्डन कालोनी निठौरा रोड लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमन्चा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तंमचा बरामद।

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त चाँद पुत्र इमरान निवासी हैदरनगर थाना कोतवाली जनपद हापुड हाल पता मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा मौहल्ले के लडके के साथ विवाद हो गया था जिसे मैं डराने के लिये अवैध तमंचा लेकर आया था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त चाँद पुत्र इमरान निवासी हैदरनगर थाना कोतवाली जनपद हापुड हाल पता मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र मुकेश निवासी छठ पूजा पार्क के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सतेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि यह देशी तमंचा में बुलन्दशहर से खरीद कर लाया था। मैं इस देशी तमंचा को अपने पास रखता था तथा लोगों के मन में भय बनाकर अपना रौब जमाता हूँ। आज यह तमंचा लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतेन्द्र पुत्र मुकेश निवासी छठ पूजा पार्क के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सतेन्द्र के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा देशी 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 06.12.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री हरीश दीक्षित पुत्र श्री धनपाल दीक्षित पता गाजीपुर दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त राहुल भारद्वाज द्वारा वादी की बुआ मधु शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व उपरोक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त राहुल भारद्वाज को हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल 01 चाकू व 01 दरांत बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राहुल भारद्वाज से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैंने अपनी सगी माँ मधु शर्मा उम्र करीब 70 वर्ष की हत्या गला रेतकर कर दी है। मेरी माँ मुझको व मेरी पत्नी को बहुत प्रताड़ित कर मारपीट करती थी। इसी कारण मैं कई साल घर से बाहर रहा। कुछ दिन पहले ही वापस आया था । दिनांक 05.12.2025 को मेरी पत्नी व मेरा बेटा इसी से तंग आकर मुझको छोडकर चले गए सुबह से ही मेरा मेरी माँ से इसी बात को लेकर झगडा चल रहा था। मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया तो मैंने किचिन में रखे चाकू व दरांत से उनकी गला रेतकर हत्या कर दी है।

अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल भारद्वाज पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी जनता कालोनी फफराना रोड थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व 01 दरांत (आलाकत्ल) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 16.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती फरजाना पत्नी स्व0 अहसान निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया के पति अहसान पर धारदार हथियार से हमला करना तथा अहसान द्वारा विरोध करने पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर उनकी हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-191(2)/ 191(3)/ 190/ 333/ 115(2)/ 352/ 351(3)/ 103(1)/ 61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 1.मेजर उर्फ जावेद पुत्र आबिद 2. सुहेल पुत्र साबिर व दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्त रासिद पुत्र सियालत व दिनांक 12.11.2025 को अब्दुल्ला पुत्र इंसाफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 07.12.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र नसीबू निवासी मौ0 लाला महमदपुर थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि हमारा पूर्व से अहसान के साथ विवाद चल रहा था, हमारे भाई को मारने वाला अहसान जमानत पर बाहर आया हुआ था, दिनांक 16.10.2025 को विश्वकर्मा बस्ती मोदीनगर क्षेत्र में मैने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर अहसान की गोली मार कर हत्या कर दी थी और हम मौका देखकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दानिश पुत्र नसीबू निवासी मौ0 लाला महमदपुर नई बस्ती थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

वांछित अभियुक्तगण -

1. सादिम 2. पूजा किन्नर 3. मोमीन 4. नूरहसन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 30,700 /- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 07.12.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक अनुज कुमार निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 30,700 /- में से कुल रु 30,700 /- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक अनुज कुमार उपरोक्त के साथ 30,700/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 07.12.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 30,700/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 9,500 /- रू0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 07.12.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर, गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 9,500/- रू0 में से कुल रु 9,500/-रू0 आवेदिका को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका उपरोक्त के साथ 9,500 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 07.12.2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 9,500/- रू0 की धनराशि को वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना भोजपुर।